प्रेस विज्ञप्ति

संख्या:- **333**

दिनांक:- **04.04.18**

आपूर्ति की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिये कई निर्देश

अप्रैल माह में ही रिक्त राशन दुकानों का लाइसेंस निर्गत करने का दिया निर्देश

नये राशन कार्ड के आवेदनों का अविलम्ब करें निष्पादन

नवादा:- नये राशन के दुकानों के लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में **20** अप्रैल तक शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन निर्धारित मापदंड के आधार पर हर हाल में कर लें। उक्त बातें जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय सभागार में आपूर्ति की समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी एमओ से कही। गौरतलव हो कि जिले में दो सौ से अधिक रिक्त राशन बिक्रेताओं के लाइसेंस के लिए **2024** आवेदन प्राप्त हुए हैं। नवादा अनुमंडल में **1172** एवं रजौली अनुमंडल **852** आवेदन प्राप्त किये गए हैं। डीएम ने कहा कि **12** अप्रैल तक **50** प्रतिशत एवं **20** अप्रैल तक शत प्रतिशत प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थलीय जांच कर लें। उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अप्रैल माह में रिक्त राशन दुकानों का लाइसेंस हर हाल में निर्गत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन दुकान के अभाव में कहीं-कहीं उपभोक्ताओं को पांच-पांच किलोमीटर दूर के राशन दुकान से खाद्यान का उठाव करना पड़ता है। नये राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में भौतिक सत्यापन के उपरान्त अप्रैल माह में ही शत प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन कर दें तथा स्वीकृत आवेदन के आलोक में लाभुकों को नये राशन कार्ड निर्गत करें। बतातें चलें कि डीएम ने मार्च में ही आपूर्ति की बैठक में निर्देश दिया था कि हर हाल में नये राशन कार्ड के प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निष्पादन कर दें। परन्तु जिले में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण अधिकतर पदाधिकारियों की ड्यूटी विधि-व्यवस्था में लगा देने के कारण कई जनहित एवं विकास के कार्यों की गति काफी धीमी हो गयी। डीएम ने प्रखंडवार समीक्षा उपरान्त दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नये राशन कार्ड के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए तेजी से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने अप्रैल माह के खाद्यान वितरण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां अभी से ही करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नवादा में योगदान के उपरान्त अभी तक अपने कार्य शुरू

नहीं किये हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि अविलम्ब उनके विरूद्ध विभाग को पत्र लिखा जाय। अन्त्योदय एवं पीएचसी कार्ड के मिलान पर प्रतिवेदन देने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया। राशन कार्ड के लाभुकों का आधार सिडिंग एवं उसका सत्यापन, न्यायालय में लंबित मामले, खाद्यान का उठाव, पैक्स गोदामों का भौतिक सत्यापन आदि के संबंध में भी डीएम ने समीक्षा कर कई आवष्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उपरोक्त बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वीणा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली शम्भु शरण पाण्डेय, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीएम एसएफसी प्रवीण कुमार दीपक सहित सभी एमओ आदि उपस्थित थे।